अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण बीकानेर के ''बॉल क्ले'' व्यवसाय पर संकट

बीकानेर की क्ले खदानों से रोज 400 ट्रक निकलते थे, अब 50-60 ही गुजरात के मोरबी जा रहे हैं

- मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद
- बीकानेर का क्ले व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ाया, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब सात लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हुआ

बीकानेर, (निसं)। अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध ने बीकानेर के ''बॉल क्ले'' व्यवसाय पर संकट खड़ा कर दिया है। गुजरात के मोरबी में ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जा रही गैस की किल्लत के कारण टाइल्स और सिरेमिक उत्पाद की करीब 600 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, जिससे वहां के व्यवसायियों ने ऑर्डर कैंसिल कर बीकानेर से क्ले मंगाना बंद कर दिया है। बीकानेर से रोजाना 400 ट्रक क्ले गुजरात जाते थे और अब 50-60 ही रह गए हैं।

टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद के लिए सबसे जरूरी खनिज ''बॉल क्ले'' की बीकानेर में करीब 241 खानें हैं। यहां से हर साल 40 लाख टन क्ले गुजरात के सिरेमिक हब मोरबी भेजी जाती है, जहां टाइल्स और अन्य सिरेमिक उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इससे मोरबी में सालाना 60 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। पिछले 25 दिन से चल रहे युद्ध के कारण मोरबी में गैस की आपूर्ति बाधित हो गई। अब फैक्टरी मालिकों ने बीकानेर के खान मालिकों को माल भेजने से मना कर दिया है। अब 50-60 ट्रक ही मोरबी जा रहे हैं। ये गाड़ियां भी मोरबी में वे लोग मंगा रहे हैं, जिनकी फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक था। अगर युद्ध लंबा चला तो बीकानेर से क्ले का डिस्पैच पूरी तरह बंद हो जाएगा। बीकानेर का क्ले व्यवसाय पूरी तरह लड़खड़ा गया है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से करीब 7 लाख लोगों पर रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

देश में करीब सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली 1000 इकाइयां हैं, जिनमें से अधिकांश गुजरात के मोरबी में ही हैं। करीब 25 इकाइयां राजस्थान सहित अन्य राज्यों में हैं। प्रत्येक इकाई रोजाना औसतन 20,000 वर्ग मी. टाइल्स का उत्पादन करती है। इसके लिए रोजाना 25 मीट्रिक टन पेट्रोलियम गैस की आवश्यकता होती है। आपूर्ति में रुकावट से उत्पादन की लागत बढ़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने से बड़ा आर्थिक और रोजगार संकट खड़ा हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय शिपिंग लागत में भारी वृद्धि हो गई है। डॉलर महंगा होने और ईंधन लागत बढ़ने से आयातित कच्चे माल महंगे हो गए हैं। सिरेमिक उत्पाद का 30 प्रतिशत निर्यात होता है।

क्ले व्यवसायी राजेश चूरा का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो जल्दी ही खानें बंद करने की नौबत आ जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो करीब 7 लाख लोग प्रभावित होंगे। क्ले की एक खान से कम से कम 3000 लोगों का रोजगार जुड़ा है। बीकानेर में 241 खानें हैं तो उनसे जुड़े लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो जाएगा। मोरबी के जो फैक्टरी मालिक 50-60 गाड़ियां क्ले मंगा रहे हैं, वो भी जल्दी ही बंद कर देंगे।

मनोज एरवाड़ियां, सिरेमिक एसेसिएशन अध्यक्ष, मोरबी, गुजरात ने बताया कि मोरबी में टाइल्स और सिरेमिक की करीब 600 इकाइयां बंद कर दी गई हैं। जब तक गैस की किल्लत दूर नहीं हो जाती, इन्हें शुरू करना मुश्किल होगा। बीकानेर के क्ले व्यवसायियों को डिस्पैच रोक देने के लिए कहा गया है। जिन फैक्ट्रियों में गैस का स्टॉक है, केवल वही क्ले मंगा रहे हैं। गैस आपूर्ति शुरू सुचारू होने के बाद भी सिरेमिक व्यवसाय पटरी पर आने में 4-6 माह का समय लगेगा।

एमपी पुरोहित, खनि अभियंता, बीकानेर का कहना है कि रवन्ना और उत्पादन के आंकड़ों के मुताबिक क्ले का डिस्पैच सामान्य से कम होता जा रहा है। इसका बड़ा कारण मोरबी में सिरेमिक इकाइयों का बंद होना है।

युवती की संदिग्ध मौत, युवक हिरासत में

जोधपुर, (कासं)। शहर के एक होटल में मंगलवार को एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी, जिसका एमजीएच में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। संदेह है कि युवती से दुष्कर्म किए जाने से उसकी मौत हो गई। मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लग पाएगा। पुलिस ने होटल में उसके साथ ठहरे युवक को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ जारी है। दोनों ग्रामीण परिवेश से है। मृतका के भाई की तरफ से दुष्कर्म और हत्या किए जाने की आशंका में केस दर्ज कराया गया है।

उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मंगलवार को एक होटल में युवती संदिग्ध मौत की जानकारी पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। शव को बाद में एमजीएच मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका आज मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया।मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता लग पाएगा। मृतका के भाई ने एक युवक पर जोकि होटल में उसकी बहन के साथ रूका था, उस पर दुष्कर्म और हत्या की आशंका में रिपोर्ट दी है। थानाधिकारी ने बताया कि संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

अज्ञात व्यक्ति का शव मिला

नापासर, (निसं)। रेलवे स्टेशन के पास बुधवार दोपहर अज्ञात व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। उसे राजकीय चिकित्सालय नापासर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार, करीब 50 वर्षीय यह व्यक्ति मुसाफिरखाने के सामने बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। आसपास के लोगों ने तुरंत नापासर पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर नापासर थाना पुलिस के ड्यूटी ऑफिसर रिखब दास मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की।

राजस्थान सरकार
कार्यालय- राजकीय महाविद्यालय करौली (322241)
Email ID-pgcollogokarauil@gmail.com
क्रमांक-2025-26/519 दिनांक-16.03.2026
(E-tender NIB No. 02/2025-26)
Sealed Single Stage Two-envelopes and unconditional online Bids for Rate contract for upto 31.03.2027 provide "Un-Skilled, Semi-Skilled, Skilled And Highty sKilled manpower for Government College, Karuli are invited from interested bidders upto 27.03.2026 at 01.00 PM Other particulars of the bid may be visited on the Procurement Portal (http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in) of the state. The approximate value of the procurement is Rs. 25 Lakh.
UBN NO. ECD2526SLOB00624
DIPR/C/5759/2026
Principal
Government College, Karauli

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड रामगंज मण्डी (जिला कोटा)
क्रमांक-1349 दिनांक-18.03.2026
निविदा सूचना संख्या 23/2025-2026
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सडक/भवन कार्यो के उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के ''ए'' ''बी'' ''सी'' एवं ''डी'' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया हेतु ऑन लाईन निविदा निम्न कार्यो की आमंत्रित की जाती है।
निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट "www.diproline.org." "www.eproc.rajasthan.gov.in" तथा "www.pwd.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट "www.eproc.rajasthan.gov.in" पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
1. PWD2526WSOB25949, 2. PWD2526WSOB25950, 3. PWD2526WSOB25951
4. PWD2526WSOB25952, 5. PWD2526WSOB25953
(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड रामगंज मण्डी
DIPR/C/5939/2026

पोकरण : सड़क दुर्घटना में दो की मौत, आठ घायल

चाचा गांव के नजदीक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई

- सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में हुआ हादसा

पोकरण, (निसं)। पोकरण के पास चाचा गांव के नजदीक बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसमें सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वाहन में दस लोग सवार थे। घायलों में 4 महिलाएं, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल हैं। हादसा सड़क पर अचानक आई गाय को बचाने के प्रयास में हुआ, जिसमें तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी पलट गई। हादसे में मृतकों की पहचान गोर्धन सिंह और गोपाल सिंह के रूप में हुई है। सभी घायल थईयात गांव के निवासी बताए जा रहे हैं, जो रामदेवरा से एक शोक सभा में शामिल होकर लौट रहे थे। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निजी वाहनों और एम्बुलेंस के जरिए तुरंत पोकरण के उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार पोकरण में जारी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है।

ट्रैक्टर के नीचे दबने से चालक की मौत

कोटा, (निसं)। सिमलिया थाना इलाके में नहर निमार्ण कार्य के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। हादसे में घायल हुए चालक की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार उत्तरप्रदेश निवासी रामवीर कोटा में मजदूरी के लिये आया था। रामवीर ट्रैक्टर चालक था, जो सिमलिया क्षेत्र में चल रहे नहर निमार्ण में कार्य के दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटी खा गया, जिसके नीचे दबने से चालक रामवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। रामवीर को घायलावस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सिमलिया थानाधिकारी नन्द सिंह ने बताया कि उत्तरप्रदेश निवासी रामवीर नहर निर्माण साईट पर ट्रैक्टर चलाने का काम करता था।, ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक उसके नीचे दब गया, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।

श्रीगंगानगर में 'रेबीज' से डॉग के मालिक की मौत

दस दिन पहले कुत्ते (श्वान) की भी मौत हो गई थी, संपर्क में आने से युवक को भी रेबीज हो गया था

- युवक हवा-पानी से डरने लगा था, अस्पताल में भी आक्रामक हो गया

श्रीगंगानगर, (निसं)। यहां पालतू कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से उसके मालिक की भी मौत हो गई। इससे 10 दिन पहले कुत्ते (श्वान) की भी मौत हो गई थी। युवक हवा, पानी से डरने लगा था। युवक की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था, जहां वह असामान्य व्यवहार करने लगा, इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर युवक के परिजनों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं। बेड और स्ट्रेचर को भी बाहर निकाल कर रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, श्रीगंगानगर के रहने वाले युवक ने घर में कुत्ता पाला हुआ था। कुत्ते को रेबीज था, इसके चलते उसके कुत्ते की 10 दिन पहले ही मौत हो गई थी। इसके संपर्क में आने से युवक को भी रेबीज हो गया। इसके बाद बुधवार को युवक की तबीयत बिगड़ने लगी। रेबीज के लक्षण नजर आने लगे और पागलों जैसी हरकतें, बेचैनी और असामान्य व्यवहार करने लगा। परिजन उसे श्रीगंगानगर के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। जानकारी के अनुसार, अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचते ही मरीज की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ सहित आधा दर्जन डॉक्टरों ने मरीज को देखा, लेकिन रेबीज की आक्रामक स्टेज में इलाज संभव नहीं हो पाया। इमरजेंसी रूम में ही युवक की मौत हो गई।

पीएमओ डॉ. सुखपाल सिंह बराड़ ने बताया कि परिजनों ने बताया था कि ये हवा-पानी से डरने लगा था और आक्रामक भी हो गया था। मरीज के साथ आए परिजनों को तुरंत रेबीज बचाव इंजेक्शन लगाए गए हैं। इमरजेंसी कक्ष को हाइपो से साफ करवाया गया। बैड और स्ट्रेचर को बाहर निकालकर सैनिटाइज किया गया। शव को जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया है। गुरुवार को शव का पोस्टमॉर्टम किया जाएगा।

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर
नर्मदा कॉलोनी, समाज कल्याण विभाग के पीछे जालोर (राज.). ई-मेल-dcpujalore@gmail.com
क्रमांकः-जि.बा.सं.इ./ जालोर / 2025-26/733 दिनांकः-17.03.2026
ई-निविदा सूचना सं. 01/2025-26
कार्यालय सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई एंव बाल अधिकारिता विभाग जालोर के अधीन संचालित चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 (24x7) सेवा के संचालन हेतु एक वर्ष के लिए जॉब बेसिस पर मानव संसाधन (प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट) उपलब्ध कराने हेतु ई-निविदा के माध्यम से पंजीकृत / रजिस्टर्ड संवेदक / बोलीदाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।
ई-निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. स.	जॉब बेसिस पदों का विवरण	जॉब बेसिस पदों की संख्या	अनुमानित वार्षिक लागत	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	ई- निविदा प्रकिया शुल्क (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	project coordinator	01	20.88 लाख	41,760/-	500/-	500/-
2	counselor	01				
3	child helpline supervisors	03				
4	case worker	03				

NIB NO-CED2526A0114
UBN NO-CED2526SLOB00113

1	डाक्यूमेंट डाउनलोड प्रारम्भ तिथि एवं समय	17.03.2026	सांय 5.00 बजे
2	बिड सबमिशन स्टार्ट तिथि एवं समय	17.03.2026	सांय 5.00 बजे
3	डाक्यूमेंट डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय	27.03.2026	सांय 5.00 बजे
4	कार्यालय में प्रतिभूति राशि प्रोसेसिंग फीस एवं टेंडर फीस जमा कराने की अंतिम तिथि एवं समय	27.03.2026	सांय 5.00 बजे
5	बिड समिशन की अंतिम तिथि एवं समय	27.03.2026	सांय 5.00 बजे
6	तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	27.03.2026	सांय 5.30 बजे
7	वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय	Will be intimte later to the Technically Qualified Bidders	

निविदा संबंधी विस्तृत सूचना दस्तावेज मय शर्ते https://sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर व डाउनलोड की जा सकती है। निविदा https://eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाईन आमत्रित की जाती है।
देखी तकनीकी निविदा उन्ही निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा निविदा प्रतिभूति राशि का मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की Assitant Director, District Child Protection Unit & child Emp. Department Jalore के नाम एव जालोर में देय हो कार्यालय में भौतिक रूप से जमा कराया जायेगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क ऑनलाईन ई-ग्रास से चालान 500/- रूपये Assitant Director, District Child Protection Unit & child Emp. Department Jalore के नाम से एवं RISL ई निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि ऑनलाईन ई-ग्रास से चालान 500/- रूपयें Managing Director, RISL, Jaipur Payable at Jaipur के नाम से हो निर्धारित तिथी एवं समय तक कार्यालय में प्रस्तुत कर दी गई होगी। यह निविदा निर्धारित तिथि व समय को जो निविदादाता उपस्थित होंगे, के समक्ष खोली जावेगी।
किसी बोली को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति को सम्पूर्ण अधिकार होगा। उक्त निविदा के अन्तर्गत चाहा गया कार्य पूर्णतः जॉब बेसिस आधार पर है और यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाता है कि उक्त जॉब बेसिस कार्य हेतु संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले जॉब बेसिस वर्कर भविष्य में स्थायीकरण / राज्य कर्मचारियों के समकक्ष वित्तीय अथवा अन्य परिलाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी आधार पर विधिक अथवा प्रशासनिक रूप से अधिकृत नहीं होगें। यदि इस संदर्भ में जॉब बेसिस वर्करों द्वारा उक्तानुसार अंकित निर्देश व स्पष्टीकरण के विपरित कोई मांग अथवा विधिक दावा किया जाता है, तो उनके द्वारा किया जाने वाला ऐसा प्रयास अन्यथा प्रयोजनवश माना जाकर गैरकानूनी होगा और इसके लिए संबंधित संवेदक/फर्म/एजेंसी ही उत्तरदायी होगी, यह कार्यालय/विभाग किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। तकनीकी एंव वित्तीय निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने/घोषित होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी।
सहायक निदेशक
DIPR/C/5867/2026 जिला बाल संरक्षण ईकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग जालोर

श्रीगंगानगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली

कोलकाता के एक गलत एड्रेस से डाक के जरिए भेजे गए अज्ञात पत्र में चेतावनी दी गई थी

- बीकानेर से बम निरोधक दस्ता कोर्ट पहुंचा और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी
- बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। श्रीगंगानगर मं कोर्ट कैंपस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोलकाता के एक गलत एड्रेस से डाक के जरिए भेजे गए अज्ञात पत्र में कोर्ट को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी। बुधवार सुबह बीकानेर से बम निरोधक दस्ता कोर्ट पहुंच गया और पूरे परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। एसपी समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीम ने कोर्ट के चप्पे-चप्पे की गहन तलाशी ली। सी और डी ब्लॉक के चैंबर, न्यायिक अधिकारियों के कक्ष समेत पूरे परिसर की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते की क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोर्ट में कामकाज शुरू हो पाया। पत्र भेजने वाले का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कोलकाता के एड्रेस का इस्तेमाल कर भेजे गए धमकी भरे पत्र की ट्रेसिंग के लिए सायबर सेल और पोस्टल विभाग की मदद ली जा रही है। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई है। कोर्ट परिसर में एंट्री और मोर्चा जांच कड़ी कर दी गई है। अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, 15 दिन पहले यानी 10 मार्च को सुबह करीब 11:30 बजे श्रीगंगानगर के पासपोर्ट ऑफिस (पोस्ट ऑफिस परिसर में स्थित) को भी बम से उड़ाने की ई-मेल धमकी मिली थी। उस समय भी बीकानेर से बम निरोधक दस्ता बुलाया गया और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद अगले दिन ऑफिस ने सामान्य कामकाज शुरू कर दिया।

महिला और किशोरी ने आत्महत्या की

जोधपुर, (कासं)। कमिश्नरेट के मथानिया और सदर कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और किशोरी ने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। संबंधित थाना पुलिस ने परिजन की तरफ से दर्ज कराई मर्ग रिपोर्ट पर कार्रवाई की और शव सुपुर्द किए। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरु कर दी है।

मथानिया पुलिस ने बताया कि बिंजवाड़ियां की रहने वाली 28 वर्षीय भावना पत्नी टीकमराम माली ने अपने घर में फंदा लगा लिया। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। रिश्तेदार बस्सीनगर बड़ला बासनी ओसियां निवासी प्रेमाराम पुत्र कुंभाराम माली ने मर्ग में रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ से सदर कोतवाली पुलिस ने बताया कि भीतरी क्षेत्र नया बास रामदेव की गली में रहने वाली 16 साल की किशोरी ने भी अपने घर में फंदा लगा लिया। पता लगने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, मगर डॉक्टर ने उसे मृत बता दिया। उसके रिश्तेदार ने मर्ग रिपोर्ट दी।

जोधपुर में सूने घर से जेवर व सामान चोरी

परिवार शादी समारोह में गांव गया हुआ था, पड़ौसी ने सूचना दी

- दो किलो चांदी के आभूषण, चार तोला सोने के जेवर और चांदी के बर्तन चोरी

जोधपुर, (कासं)। शहर की पुरानी आशापूर्णा टाउनशिप में एक सूने घर में चोरों ने सैंध लगाकर वहां से दो किलो चांदी के आभूषण, बर्तन के साथ सोने के आइटम चोरी कर ले गए। परिवार के लोग सीकर अपने गांव शादी समारोह में गए हुए थे। पड़ौसी ने घर के ताले टूटने की जानकारी दी। इस पर वे जोधपुर लौटे और अब एयरपोर्ट थाने में चोरी की रिपोर्ट दी है।

एएसआई भंवराराम ने बताया कि पुरानी आशापूर्णा टाउनशिप, शिकारगढ़ निवासी अक्षय प्रताप सिंह की तरफ से मामला दर्ज कराया गया। इसमें बताया कि वह परिवार सहित अपने गांव सीकर गया हुआ था, परिवार में शादी समारोह के चलते घर तकरीबन पांच-सात दिन से सूना था। इस बीच पड़ौसी ने सूचना दी कि घर के ताले टूटे पड़े है। यहां आने पर पता लगा कि चोरों ने सारा सामान बिखेर दिया और अलमारी बक्सों के ताले तोड़कर वहां से करीबन दो किलो चांदी के आभूषण, चार तोला सोने के जेवर और चांदी के बर्तन चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में चांदी के बर्तन जैसे प्लेटें, कटोरी, गिलास, चम्मच के अलावा सोने की अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट और चांदी की मूठ वाली तलवार शामिल है। एएसआई भंवरराम ने बताया कि परिवादी के पिता प्रोपर्टी का काम करते थे। परिवादी खुद पढ़ाई करता है, उसकी तरफ से मामला दर्ज कराया गया है।

राजस्थान सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/803
दिनांक-25.03.2026
मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा कमांक प.4 (1) वित्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नवीनीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	28-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस / पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेंगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष कमशः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगें, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेंगे।

DIPR/C/___/2026 आबकारी आयुक्त, उदयपुर

उदयपुर के भल्लों का गुडा में पिंजरे में कैद हुआ लैपर्ड

कई दिनों से लैपर्ड पशुओं का शिकार कर रहा था

- वन विभाग ने तीन दिन पहले जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था, जिसमें लैपर्ड कैद हो गया

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर शहर के पास भल्लों का गुडा इलाके में पिछले कई दिनों से आतंक मचा रहा लैपर्ड आखिरकार बुधवार को वन विभाग के लगाए पिंजरे में कैद हो गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में राहत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार कुराबड़ मार्ग पर स्थित इस गांव में कई दिनों से लैपर्ड का लगातार विचरण देखा जा रहा था। रात के अंधेरे में वह बस्ती के करीब पहुंचकर आसपास के पशुओं का शिकार कर रहा था। इससे ग्रामीणों का डर इतना बढ़ गया था कि शाम ढलते ही लोग घर से बाहर निकलने से कतराने लगे थे। लगातार शिकायतों और लोगों में फैले भय को देखते हुए वन विभाग ने तीन दिन पहले जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था। बुधवार सुबह ग्रामीणों को पिंजरे से गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचकर देखा तो लैपर्ड पिंजरे में फंस चुका था। सूचना मिलते ही वनपाल रीना कुंवर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने पूरी सतर्कता बरतते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और लैपर्ड को सुरक्षित कब्जे में ले लिया। बाद में उसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पहुंचा दिया। लैपर्ड के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, लेकिन वन विभाग ने सभी से सतर्कता बरतने की अपील की है। खासकर सुबह और शाम के समय बाहर निकलते वक्त अतिरिक्त सावधानी रखें।

लाखों की अफीम सहित तीन तस्कर गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। रायला थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर कार से 592 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर हरियाणा निवासी तीन अंतरराष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत तीन लाख रुपये आंकी गई है।

रायला थानाधिकारी मुलचंद वर्मा ने बताया कि थाने के सामने भीलवाड़ा-गुलाबपुरा रोड पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान भीलवाड़ा की ओर से आ रही एक संदिग्ध सफेद फॉर्च्यूनर कार को रुकवाया गया। पुलिस को देखकर कार सवार युवक घबरा गए। तलाशी लेने पर गाड़ी के अंदर एक प्लास्टिक की थैली में छिपाकर रखी गई 592 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के त